मोबाईल नंबर

अधिवक्ता

यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

1/130/23 तारीख रजू.........................

बनाम

बहादुरसिंह महारानी वगैरा

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3	वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकिल श्री राधावल्लभ शर्मा एड0 ने उपस्थिति होकर पेश किया।कार्यालय रिर्पोट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 16.06.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16/6/23	कुआव बेरीकेन पत्र0/P.O वाहन [illegible] पत्रावली दिनांक 6/10/23 को पेश हो।	
6/10/23	वकील वादी उपस्थित मासिक आदेश दिनांक............. की पालना में पत्रा. ली वास्ते तलवी रिपोर्ट [illegible] दिनांक 20/11/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/11/23	कुआव बेरीकेन पत्र0/P.O वाहन [illegible] पत्रावली दिनांक 27.1.24 को पेश हो।	
27/1/24	कुआव बेरीकेन पत्र0/P.O वाहन [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो।	

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... अहकाम जो... की तामील...
...1/9/26	पत्रावली उपस्थित। कुर्कजात रिपोर्ट पेश हुई। पत्रावली व कुर्कजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वा. दावा वादीयान साबित होने पर FD किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल हुआ होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल। SDO	

प्रारम्भिक डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1 / 130 / 2023 दायर दिनांकः— 06 / 06 / 2023

जीसीएमएस नं0ः—2023 / 251 निर्णय दिनांकः—20 / 01 / 2026

वउनवान

1. बहादुरसिंह पुत्र टुण्डाराम जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर
2. शिवराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी भरीथल तहसील कठूमर जिला अलवर।

——————वादिगण

बनाम

1. महारानी पुत्र मोहेनसिंह जाति जाट निवासी मसारी तहसील कठूमर।
2. मोहनसिंह पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी मसासी तहसील कठूमर।
3. हितेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी मसारी तहसील कठूमर।
4. बल्ली पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर।
5. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर।

———— प्रतिवादीगण

वा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—53, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः— श्री घनश्याम शर्मा एड0—अधिवक्ता वादीगण
श्री समन्दर शर्मा एड0—अधिवक्ता प्रतिवादीगण

—::निर्णय::—

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2438/2741 रकबा 0.61 हे. वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी में वादीगण का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 5/12 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादिया एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अव पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस वजह से वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादिया ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व वुरी में से वुरी आराजी तकासमा कराने व मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 06.11.2025 को प्रतिवादीगण उपस्थित होकर जाबाव दावा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। जिसकी लिखित सहमती आदेशिका पर दी गई। है।वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम मसारी सत्य प्रतिलिपी पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा की सहमती का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जिससे सावित है कि विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। हाल

अधिकारी

जमाबन्दी में विवादित आराजी पक्षकारान की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का शामलात खातेदारी की अवट होने का अनुमान किया जाता है। प्रतिवादीगण ने लिखित सहमती दी जाकर विवादित आराजी का कानूनी तकासमा किये जाने की सहमति दी है। अतः दावा वादीगण मुताविक सहमती के आधार पर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

अतः वाद वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 2438/2741 हैक्ट0, रकबा 0.61 हैक्ट0 वाके ग्रम मसारी तहसील कठूमर पर मौके पर पहुँच कर दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ताकि मुकदमा में अंतिम डिक्री पारित की जा सके। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी की जावे।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०